

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भमरीबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती कंकुबाई

पत्रावली संख्या : 32/23

जीसीएमएस : 2023/78

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 08.04.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका है। विभाजन प्रस्ताव तैयार होने से पूर्व कोई भी सहखातेदार किसी विशेष भू-भाग पर कब्जा कर निर्माण कार्य कर वादग्रस्त भूमि के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन कर सकते है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके की यथास्थिति बनी रहे। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 का आंशिक स्वीकार कर उभय पक्षो को मूल वाद में अंतिम डिक्री जारी होने तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 439 पर दर्ज आराजी नम्बर 3505 किता 1 कुल रकबा 2.6224 हेक्टेयर भूमि में निर्माण कार्य नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

